Besides providing funds for the above support, this Ministry is also providing funds at the rate of Rs. 20 per chulha for the Self Employed Workers, who are working at the grassroot levels for the installation of chulhas as well as its monitoring for one complete year. While the implementation vests on the nodal/implementing agencies in the States, there is no lack of support towards infrastrcture from the Central Government.

Since 1993-94, a policy of State sharing including for infrastructural support has been incorporated in this programme. A large number of States/UTs have responded positively. There is no complaint from any of the States/UTs/Agencies about lack of infrastructural support which can adversely affect the programme.

With Holding of Pension of Retired Employees

89. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that payment of monthly pension to large number of retired Government employees in Uttar Pradesh has been recently withheld by the State Administration even during the currency of President's Rule for the last eleven months;

(b) if so, the number of employees, category-wise who retired from service year-wise since 1989-90 to whom payment of pension remained pending; and

(c) the action taken to expedite release of pension to the retired employees?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SMT. MARGARET ALVA): (a) No, Sir.

(b) The number of employees whose pension payment remains pending is as follows:

Year of retirement	Number
1989-90	42
1990-91	191
1991-92	377
1992-93	987
1993 Nov. 93 . . .	2704

(c) On the directions of the Governor of Uttar Pradesh a special campaign for disposal of pension cases was undertaken from 16-8-93 to 15-9-93 during which 4233 pension cases were settled.

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के आधार पर तैनाती

90. **श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार के मंत्रालयों में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (ट्रांसफर आन डेपूटेशन) के आधार पर कितने व्यक्तियों को तैनात किया गया;

(ख) क्या प्रतिनियुक्ति किये जाने पर अधिकारियों को आर्थिक लाभ मिलता है;

(ग) क्या इसमें अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है;

(घ) क्या सरकार प्रतिनियुक्तियों के लाभ पर भेदभाव कर रही है; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (घ) का उत्तर न हो, तो क्या सरकार प्रतिनियुक्ति के आधार पर होने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) (क) 1-11-1993 की स्थिति के अनुसार विभिन्न मंत्रालयों विभागों में अवर सचिव से लेकर सचिव के स्तरों पर केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के तहत कार्यरत अधिकारियों की संख्या 1914 है। चूंकि केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के तहत कार्यरत अधिकारियों को छोड़कर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के आधार पर अधिकारियों को नियुक्ति करने की शक्ति संबंधित नियंत्रक प्राधिकारियों के पास होती है, इसलिए इससे संबंधित सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) जी, हां निदेशक/उप सचिव स्तर के पदों पर प्रतिनियुक्ति डयूटी भत्ता 500 रु० प्रतिमास तथा अवर सचिवों के लिए 400 रु० प्रतिमास है। प्रतिनियुक्ति पर आने वाले उन अधिकारियों के लिए जो केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के तहत नहीं आते हैं प्रतिनियुक्ति डयूटी भत्ता निम्न दरों पर अनुज्ञेय है :—

(i) एक ही स्थान पर स्थानांतरण की स्थिति में कर्मचारी के मूल वेतन का 5 प्रतिशत जो 250 रु० प्रतिमास से अधिक नहीं होगा।

(ii) अन्य सभी मामलों में कर्मचारी के मूल वेतन का 10 प्रतिशत जो 500 रु० प्रतिमास से अधिक नहीं होगा, बशर्ते कि मूल वेतन तथा प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता किसी भी समय 7300 रु० प्रतिमास से अधिक न हो।

(ग) जी, नहीं। भारत सरकार के तहत पदों तथा सेवाओं में प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी गई रिक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

(घ) जी, नहीं। चूंकि प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण न तो प्रारम्भिक भर्ती है न ही पदोन्नति, बल्कि यह ज्यादा बाद की आवाजाही के स्वरूप है, की यह भेदभाव पूर्ण नहीं है।

(ङ) जी, नहीं, उपर्युक्त (घ) को ध्यान में रखते हुए।

तकनीकी और मेडिकल संस्थानों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

91. **श्री बहु मवेव आन्नद पासवान** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी और मैडिकल संस्थानों में शीर्ष पदों पर आसीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सम्बद्ध विभागों की विशेष शाखा में शिक्षित और प्रशिक्षित हैं;

(ख) यदि नहीं, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में उनके उत्तीर्ण होने के बाद, भारत के विकास में और सरकारी अधिकारियों की कार्यक्षमता में अभिवृद्धि करने हेतु उनके ही विशिष्ट क्षेत्रों में उनकी नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ऐसा करने का विचार रखती है; यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने का संभावना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) (क) से (ग) संगठनों में शीर्ष पदों के लिए अनिवार्यतः व्यापक प्रबन्धकीय सुविज्ञता तथा बहु-विषयक परिपेक्ष्यों की आवश्यकता होती है। किसी तकनीकी संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए बुनियादी तौर पर योजना, आयोजना, स्टाफिंग तथा बजट निर्माण में प्रशासनिक सुविज्ञता की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक नहीं है कि वह एक तकनीकी विशेषज्ञ हो पर उसे प्रशासन की कला में निपुण होना चाहिए।

कार्य की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को कभी-कभी उनके अनुभव, पृष्ठभूमि तथा योग्यता